# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

| प्रार्थना–पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
|---|---|---|---|
| 90 / 22 | 212 RTA | कोयला | बारां |

| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| कमलेश | बनाम | मेतीलाल |
| वकील :– श्री ओम मेहता II एड0 | | वकीलः– |

**आदेश पत्रक**

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| 13.09.2022 | अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.11.2022 को पेश हो। | |
| 14.11.22 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. आवेदन का 152 की ओर से श्री ... एड का वकालतनामा पेश हुआ पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6.12.22 को पेश हो | |
| 6-12-22 | पीठासीन अधिकारी ...अवकाश... में रहने से पूर्ववत दिनांक 31-1-23 को प्रस्तुत हो।<br>रीडर<br>उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 31-1-23 | पत्रावली आज पेश हुई। वकलाम फरीकैन उप0। जवाब हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24-3-23 को पेश हो। | |
| 24.3.23 | पीठासीन अधिकारी ...अवकाश... में रहने से पूर्ववत दिनांक 23-5-23 को प्रस्तुत हो<br>रीडर<br>उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 23-5-23 | पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्यों में व्यस्त... में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-7-23 को प्रस्तुत हो।<br>रीडर<br>उप खण्ड अधिकारी बारां | |
| 3.7.23 | पत्रावली पेश हुई वकलाम फरीकैन उप. वकील प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र O22 R4 एवं 151 CPC पेश किया को प्रा. पत्र किया गया पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र / जवाब दिनांक 25.7.23 को पेश हो | |

| | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| 5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/5/25 को पेश हो। | |
| 12/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बाराँ | |

# निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
## उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

**प्रकरण संख्या :–** 90/2022
**दायरा दिनांक :–** 13.09.2022
**निर्णय दिनांक :–** 12/5/2025

### उनवान

1. कमलेश आयु 45 वर्ष पत्नी स्व0 नन्दकिशोर
2. मोनिका आयु 22 वर्ष पुत्री स्व नन्दकिशोर
3. हरिओम आयु 20 वर्ष स्व नन्दकिशोर
4. कविता आयु 18 वर्ष पुत्री स्व नन्दकिशोर जातियान कुम्हार निवासी गण खेडलीगंज अटरू
5. ललता बाई आयु 45 वर्ष पुत्री मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी अटरू
6. संतोष पुत्री मोतीलाल पत्नी छोगालाल जाति कुम्हार निवासी बैंगनी
7. मनीषा पुत्री मोतीलाल पत्नी कमल जाति कुम्हार निवासी बारां

–प्रार्थीगण

### बनाम

1. मोतीलाल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी बडगांव (मृतक)
2. खेमराज पुत्र मोतीलाल जाति कुम्हर निवासी बडगांव तहसील अंता जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
4. श्रीमति ललता बाई पत्नी खेमराज जाति कुम्हार निवासी सरकारी भवन के पास बडगांव तहसील बारां

–अप्रार्थीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

**निर्णय दिनांक :–** 12/5/2025

**अभिभाषक उपस्थित :–** 1. श्री ओम मेहता ।। एड – प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एड – 1, 2, 4 अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कोयला की आराजी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 187 पुराना 187 की आराजी खसरा नं0 1143 रकबा 0.1 हे0 किस्म खेडा खसरा नं0 1145 रकबा 0.02 हे0 किस्म खेडा खसरा नं0 201 रकबा 1.09 हे0 माल प्रथम लगानी 14.17 रूपये खसरा नं0 264 रकबा 1.87 हे0, किस्म बारानी दोयम लगानी 13.09 रूपये खसरा नं0 265 रकबा 1.90 हे0 किस्म बारानी प्रथम लगानी 19 रूपये कुल 5 किता कुल रकबा 4.89 हे0 कुल लगानी 46.26 रूपये स्थित है व ग्राम कोयला की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 188 पुराना 188 की आराजी खसरा नं0 2660 रकबा 1.49 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.05 हे0 खसरा नं0 337 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 338 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 339

उपखण्ड अधिकारी
बारां

रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 340 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 341 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 342 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 343 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 344 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 345 रकबा 0.11 हे0, कुल 11 किता कुल रकबा 2.50 हे0, कुल लगानी 40.10 रूपये तथा ग्राम कोयला की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 189 पुराना 189 की आराजी खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 किस्त बाराजी द्वितीय लगानी 2.10 हे0 स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 187 में अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल का 1/16 हिस्सा व खाता संख्या 188 रकबा 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 189 में 1/4 हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 2 मोतीलाल के वारिसान है तथा अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 31 सह खातेदार है जिन्है बंटवारा कराने एवं सहखातेदार होने से वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। खातेदार गयारसी बाई, तीजू बाई के वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में पूर्व से दर्ज है व उन्है सह खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया हुआ है पृथक से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल के दो पुत्र खेमराज व नन्दकिशोर तथा 3 पुत्रिया ललता बाई, संतोष बाई, मनीषा बाई, है जिसमें पुत्र नन्दकिशोर का देहान्त हो चुका है जिसके वैधानिक वारिस व कायम मुकामान वादी क्रम 1 लगायत 4 है जिन्है वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल के हिस्से में खाता संख्या 187 कुल 5 किता कुल रकबा 4.89 हे0 में 1/16 हिस्सा निहित है जिसमें वादी क्रम 1 लगायत 4 का 1/6 वादी क्रम 5 लगायत 7 का 1/6, 1/6 तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है इसी प्रकार ग्राम कोयला की आराजी खाता संख्या 188 व खाता संख्या 189 में प्रतिवादी क्रम 1 मोतीलाल का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है जिसमें से भी वादी क्रम 1 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा वादी क्रम 5 लगायत 7 का 1/6, 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है इस प्रकार प्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 अपने 1/6 हिस्से का व प्रार्थी क्रम 5 लगायत 7 अपने 1/6, 1/6 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर पृथक बंटवारा कराने व पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने से लगान निर्धारित करवाने व खिंलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल पुत्र भवंरलाल द्वारा कोयला की आराजी खाता संख्या 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 में अपना 1/4 संपूर्ण हिस्सा खाता संख्या 187 में कुल किता 4 कुल रकबा 4.89 हे0 में अपना संपूर्ण हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 188 कुल किता 11 कुल रकबा 2.50 हे0 में अपना संपूर्ण हिस्सा 1/4 दौराने वाद दिनांक 09.01.2023 को दानपत्र करवाया जाकर श्रीमती ललता बाई पत्नी खेमराज जाति कुम्हार के नाम दर्ज करवादी है जबकि उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति थी जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हकूक निहित है इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद क्रमांक 36/2022 दिनांक 12.09.2022 को पेश किया हुआ है इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 मोतीलाल द्वारा जानबुझकर प्रार्थीगण को हक हकूकों से वंचित करने के लिये एक्त दानपत्र दिनांक 09.01.2023 करवाया है जो प्रार्थीगण के विरूद्व प्रभावशून्य होने के कारण प्रार्थीगण उसे निरस्त कराने एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 3006 दिनांक 16.03.2023 को खोला गया तथा दिनांक 17.03.2023 को तस्दीक किया गया जो वादीगण/प्रार्थीगण के खिलाफ प्रभावशून्य होने से उक्त इन्तकाल क्रमांक 3006 दिनांक 16.03.2023 को एवं दानपत्र दिनांक 09.01.2023 को निरस्त कराने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी क्रम 1 वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 2 खेमराज के साथ बडगांव तहसील अंता में निवास कर रहा है जो उसके प्रभाव में है वादीगण से मिलने नही देता

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

है प्रतिवादी क्रम 2 अपने प्रभाव के कारण उससे संपूर्ण आराजियात को अपने नाम करवाने पर आमादा है अगर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा संपूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाली गई तो वादीगण को अपने हिस्से से महरूम होना पडेगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा इसलिये वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 मोतीलाल के हिस्से से समान रूप से 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने व वादी क्रम 1 लगायत 4 अपने 1/6 हिस्से का एवं वादी क्रम 5 लगायत 7 अपने अपने 1/6, 1/6 हिस्से का बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने व पृथक से लगान निर्धारित करवाने व वादीगण अपने पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अन्य वजूआत वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावें कि 187 कुल किता 5 रकबा 4.89 हे0, खाता संख्या 188 कुल किता 11 कुल रकबा 2.50 हे0, खाता संख्या 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद जेरकार वाद राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें रहन बेचान खुर्द बुर्द या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करें प्रार्थीगण के पक्ष में खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 187 पुराना 187, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 188 पुराना 188, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 189 पुराना 189, नकल मिलान क्षेत्रफल कोयला सम्वत 2015–2024, नकल मिलान क्षेत्रफल कोयला सम्वत 2032–2057, नकल खतोनी बदोबस्त सम्वत 2015–2024, नकल भू प्रबन्धक विभाग सम्वत 2038–2057, नकल जमाबन्दी सम्वत 2033–2057, नकल जमाबन्दी सम्वत 2033–2036, पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम कोयला की आराजी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 187 पुराना 187 की आराजी खसरा नं0 1143 रकबा 0.1 हे0, खसरा नं0 1145 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 201 रकबा 1.09 हे0, खसरा नं0 264 रकबा 1.87 हे0, खसरा नं0 265 रकबा 1.90 हे0, कुल 5 किता कुल रकबा 4.89 हे0 स्थित है व ग्राम कोयला की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 188 पुराना 188 की आराजी खसरा नं0 2660 रकबा 1.49 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.05 हे0 खसरा नं0 337 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 338 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 339 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 340 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 341 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 342 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 343 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 344 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 345 रकबा 0.11 हे0, कुल 11 किता कुल रकबा 2.50 हे0, तथा ग्राम कोयला की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 189 पुराना 189 की आराजी खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0, स्थित है

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

आराजी खाता संख्या 187 में अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल का 1/16 हिस्सा व खाता संख्या 188 रकबा 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 189 में 1/4 हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 2 मोतीलाल के वारिसान है तथा अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 31 सह खातेदार है जिन्है बंटवारा कराने एवं सहखातेदार होने से वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। खातेदार गयारसी बाई, तीजू बाई के वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में पूर्व से दर्ज है व उन्है सह खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया हुआ है। अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल के दो पुत्र खेमराज व नन्दकिशोर तथा 3 पुत्रिया ललता बाई, संतोष बाई, मनीषा बाई, है जिसमें पुत्र नन्दकिशोर का देहान्त हो चुका है जिसके वैधानिक वारिस व कायम मुकामान वादी क्रम 1 लगायत 4 है जिन्है वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल के हिस्से में खाता संख्या 187 कुल 5 किता कुल रकबा 4.89 हे0 में 1/16 हिस्सा निहित है जिसमें वादी क्रम 1 लगायत 4 का 1/6 वादी क्रम 5 लगायत 7 का 1/6, 1/6 तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है इसी प्रकार ग्राम कोयला की आराजी खाता संख्या 188 व खाता संख्या 189 में प्रतिवादी क्रम 1 मोतीलाल का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है जिसमें से भी वादी क्रम 1 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा वादी क्रम 5 लगायत 7 का 1/6, 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है इस प्रकार प्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 अपने 1/6 हिस्से का व प्रार्थी क्रम 5 लगायत 7 अपने 1/6, 1/6 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर पृथक बंटवारा कराने व पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने से लगान निर्धारित करवाने व खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल पुत्र भवंरलाल द्वारा कोयला की आराजी खाता संख्या 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 में अपना 1/4 संपूर्ण हिस्सा खाता संख्या 187 में कुल किता 4 कुल रकबा 4.89 हे0 में अपना संपूर्ण हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 188 कुल किता 11 कुल रकबा 2.50 हे0 में अपना संपूर्ण हिस्सा 1/4 दौराने वाद दिनांक 09.01.2023 को दानपत्र करवाया जाकर श्रीमती ललता बाई पत्नी खेमराज जाति कुम्हार के नाम दर्ज करवादी है जबकि उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति थी जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हकूक निहित है इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद क्रमांक 36/2022 दिनांक 12.09.2022 को पेश किया हुआ है इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 मोतीलाल द्वारा जानबुझकर प्रार्थीगण को हक हकूकों से वंचित करने के लिये एक्त दानपत्र दिनांक 09.01.2023 करवाया है जो प्रार्थीगण के विरूद्व प्रभावशून्य होने के कारण प्रार्थीगण उसे निरस्त कराने एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 3006 दिनांक 16.03.2023 को खोला गया तथा दिनांक 17.03.2023 को तस्दीक किया गया जो वादीगण/प्रार्थीगण के खिलाफ प्रभावशून्य होने से उक्त इन्तकाल क्रमांक 3006 दिनांक 16.03.2023 को एवं दानपत्र दिनांक 09.01.2023 को निरस्त कराने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी क्रम 1 वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 2 खेमराज के साथ बडगांव तहसील अंता में निवास कर रहा है जो उसके प्रभाव में है वादीगण से मिलने नही देता है प्रतिवादी क्रम 2 अपने प्रभाव के कारण उससे संपूर्ण आराजियात को अपने नाम करवाने पर आमादा है अगर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा संपूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाली गई तो वादीगण को अपने हिस्से से महरूम होना पडेगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा इसलिये वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 मोतीलांल के हिस्से से समान रूप से 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने व वादी क्रम 1 लगायत 4 अपने 1/6 हिस्से का एवं वादी क्रम 5 लगायत 7 अपने अपने 1/6, 1/6 हिस्से का बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

कराने व पृथक से लगान निर्धारित करवाने व वादीगण अपने पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावें कि 187 कुल किता 5 रकबा 4.89 हे0, खाता संख्या 188 कुल किता 11 कुल रकबा 2.50 हे0, खाता संख्या 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद जेरकार वाद राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें रहन बेचान खुर्द बुर्द या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करें प्रार्थीगण के पक्ष में खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है, कि मोतीलाल जी जीवनपर्यन्त खेमराज के साथ रहे व उनके द्वारा संपूर्ण हिस्सा जरिये दान पत्र रजि0 ललिता बाई को दे दिया है इस पर ललिता बाई काबिज काश्त है। जब तक दान पत्र निरस्त नही हो जाता प्रार्थी को किसी भी तरह की सहायता न्यायालय से प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी क प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार ग्राम कोयला की आराजी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 187 पुराना 187 की आराजी खसरा नं0 1143 रकबा 0.1 हे0, खसरा नं0 1145 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 201 रकबा 1.09 हे0, खसरा नं0 264 रकबा 1.87 हे0, खसरा नं0 265 रकबा 1.90 हे0, कुल 5 किता कुल रकबा 4.89 हे0 स्थित है व ग्राम कोयला की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 188 पुराना 188 की आराजी खसरा नं0 2660 रकबा 1.49 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.05 हे0 खसरा नं0 337 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 338 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 339 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 340 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 341 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 342 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 343 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 344 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 345 रकबा 0.11 हे0, कुल 11 किता कुल रकबा 2.50 हे0, तथा ग्राम कोयला की आराजी खाता संख्या 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 भूमि अप्रार्थी क्रम 01 के पिता की खातेदारी की है। जो पैत्रिक सम्पति है। पैत्रिक सम्पति में प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम 01 पैत्रिक सम्पति से अपने हिस्से की दान एवं बेचान कर सकता है। अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकारं नही है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 मोतीलाल के ग्राम कोयला की खाता संख्या नया 187 व पुराना 187 कुल किता 5 रकबा 4.89 हे0, हिस्सा 1/16 ग्राम कोयला खाता संख्या नया 188 व पुराना 188 कुल किता 11 रकबा 2.50 हे0, हिस्सा 1/4, ग्राम कोयला खाता संख्या नया 189 व पुराना 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0, हिस्सा 1/4 दर्ज था। इसको अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी क्रम 4 को दिनांक 09.01.2023 को जर्ये दान पत्र कर दिया गया है। चुकि उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति थी। जिसमें प्रार्थीगण का हक व हकूक निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला ठोस तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

सुविधा का संतुलन :–मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति थी। जिसमें प्रार्थीगण का हक व हकूक निहित है। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजियात पैत्रिक सम्पति होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित आराजियात का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– विवादित आराजियात अप्रार्थी क्रम 01 के पिता की खातेदारी की है। जो पैत्रिक सम्पति है। पैत्रिक सम्पति में प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम 01 पैत्रिक सम्पति से अपने हिस्से की दान एवं बेचान कर सकता है। अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय होने से पहले ही विवादित आराजियात का अप्रार्थीगण द्वारा दान एवं बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला की आराजी खाता संख्या नया 187 पुराना 187 कुल 5 किता कुल रकबा 4.89 हे0, हिस्सा 1/16 व ग्राम कोयला की खाता संख्या नया 188 पुराना 188 कुल 11 किता कुल रकबा 2.50 हे0, हिस्सा 1/4 तथा ग्राम कोयला की आराजी खाता संख्या 189 खसरा नं0 3663/346 रकबा 0.30 हे0 हिस्सा 1/4 भूमि में अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है, कि उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें तथा रहन, बेचान खुर्द–बुर्द या अन्य किसी भी प्रकार की मुन्तकिल नही करें तथा प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां